न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज(जू0डि0), थराली, जनपद–चमोली।

दाण्डिक परिवाद संख्या– 57/2024

CNR No.- UKCL0A000127-2024

परिवादी– बिष्ट जड़ी–बूटी नर्सरी।

बनाम्

विपक्षी– सक्सेना ट्रेडिंग कम्पनी।

धारा–138 एन0आई0एक्ट

दिनांकः–25.07.2024

आज यह लिखित परिवाद पत्र परिवादी **बिष्ट जड़ी–बूटी नर्सरी द्वारा प्रो0 पुष्कर सिंह बिष्ट** के द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता **श्री अनिल भारद्ववाज** के माध्यम से परक्राम्य लिखित अधिनियम,1881 की धारा 138 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के साथ स्वयं का शपथ पत्र अन्तर्गत धारा– 223, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, धारा– 225, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, के अन्तर्गत साक्षी धर्म सिंह का साक्ष्य शपथ पत्र, परिवादी के पक्ष में निर्गत मूल चैक, अनादरण के ज्ञापन सम्बन्धी बैंक रिर्टन मैमो, अभियुक्त को प्रेषित नोटिस, डाक रसीद, बैंक जमा पर्ची आदि प्रपत्र संलग्न किये गये। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। परिवाद पत्र दाण्डिक पंजिका में पंजीकृत हो।

पत्रावली शेष साक्ष्य अन्तर्गत धारा– 225, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 हेतु दिनांक 13.08.2024 को प्रस्तुत हो।

(देवांश राठौर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज(जू0डि0),
थराली, जनपद–चमोली।